item appearing in the Economic Times of 9th May, 1994 under the caption "Unreconciled bank accounts spiral";

(b) If so, the facts thereof; and

(c) the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Yes, Sir.

(b) The news item draws attention to the heavy arrears in banks in reconciliation of inter-branch accounts and to the possibility of routing dubious transactions through unreconciled inter-branch accounts.

(c) Reserve Bank of India has advised all banks to clear all outstanding inter-branch entries upto the financial year 1992-93 by 31st March, 1994. Further, in respect of entries from 1993-94 onwards, all banks have been advised to ensure that no entry remains unadjusted for more than six months.

सहकारी कताई मिलों के लिये दीर्घावधि ऋण

929. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने "भारतीय औद्योगिक विकास बैंक", "भारतीय औद्योगिक वित्त निगम" और अन्य केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों से राज्य में स्थापित की जाने वाली सहकारी कताई मिलों के लिए दीर्घावधि ऋणों को स्वीकृत करने के कार्य को शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त संस्थानों ने ऋण उपलब्ध कराये हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में दिये गये ऋणों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) को सूचित किया है कि महाराष्ट्र में आठवीं योजना की अवधि में 50 सहकारी कताई मिलें स्थापित की जाएंगी। इनमें आईडीबीआई को 12 आवेदन, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को 15 आवेदन और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आईसीआईसीआई) को 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्वित्त बैंक (आईआरबीआई) को अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है ।

(ख) से (घ) आईडीबीआई ने सूचित किया है कि संस्थानों ने उपर्युक्त आवेदनों के संबंध में कोई सहायता स्वीकृत नहीं की है । फिर भी महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों में आईडीबीआई, आईएफसीआई तथा आईसीआईसीआई द्वारा अन्य सहकारी कताई मिलों को उपलब्ध कराई गई सहायता इस प्रकार है :—

(रुपये करोड़ों में)

	1991-92 राशि	1992-93 राशि	1993-94 राशि
आईडीबीआई	18.21	9.80	0.29
आईएफसीआई	5.40	4.46	—
आईसीआईसीआई	3.74	—	1.50

निर्यात पर अधिकाधिक जोर देने के विचार से वित्तीय संस्थान ऐसी निर्यातोन्मुखी इकाइयों को तरजीह दे रहे हैं जो इस क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों ने प्रवर्तित की है और जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के धागे उत्पादन का सुनिश्चय करने के लिए अत्याधुनिक उपस्कर लगाने के इच्छुक हैं। विद्यमान सहकारी मिलों का कार्य समान्यता असन्तोषजनक रहा है और उन पर वित्तीय संस्थानों के बड़ी मात्रा में अतिदेय बकाया है। आईडीबी आई ने महाराष्ट्र सरकार को विद्यमान सहकारी कताई मिलों के अतिदेयों को समाप्त करने तथा उनके संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की सलाह दी है।

Waiving of loan by Vijaya Bank

930. SHRI K. R. MALKANI:
SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:
DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has to be drawn to the news-item published in the Economic Times of 31st May, 1994 alongwith other national dailies under the caption 'LF charges Murthy with misuse of office'; and

(b) if so, what are the details thereof and what action Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) In terms of the provision contained in Section 13(1) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts, 1970 and 1980, the nationalised bank shall not divulge any information relating to or to the affairs of its constituents except in circumstances in which it is in accordance with law or practices and usages customary among bankers. In the light of these statutory provisions information relating to a constituent of Vijaya Bank cannot be divulged.

Government have, however, examined the matter in consultation with Vijaya Bank and RBI in the light of the news-item which appeared in newspapers. In the recent past Vijaya Bank have approved a number of compromise proposals. A majority of these proposals pertain to credit facilities sanctioned during 1985 to 1997. The write offs in many cases have been necessitated either because of improper/invalid documentation, or erosion in the worth of securities etc. Experience of the bank in respect of suit filed accounts have also conditioned its decisions in such cases. The Board of Directors of Vijaya Bank have also approved certain guidelines for arriving at compromise proposals and such proposals are decided as per the approved guidelines.

भारतीय बैंकों द्वारा वसूली गयी राशि

931. **श्री गोविन्दराव आदिक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय बैंकों को पूरी वसूली न होने की स्थिति का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि उन्हें कभी-कभी पूरी वसूली प्राप्त नहीं होती है जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी उसे छोड़ देना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो 1 जुलाई, 1994 की स्थिति के अनुसार भारतीय बैंकों द्वारा कितनी वसूली की गई ;